(225) (101)

प्रकरण क्रमांक - नि0 / 4547 / 2018 / सिंगरौली / भू.रा.

<u>माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0)</u>

20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE

सीतापति शाह पिता स्व0 विसुन शाह उम्र–65 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम–रजमिलान तहसील–माड़ा जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ....**याचिकाकर्ता**

<u>बनाम</u>

रामजी शाह पिता स्व0 दादू शाह उम्र–50 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम–रजमिलान, तहसील–माड़ा जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ....**गैरयाची**

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त–अमिलिया तहसील–माड़ा जिला–सिंगरौली (म0प्र0) म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 128 / अ–12 / 2015–16 आदेश दिनांक 26.07.2016 को अपास्त किये जाने बावत्।

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रार्थी / याचिकाकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत हैः–

01 यह कि पुनरीक्षण याचिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / याचिकाकर्ता ग्राम–रजमिलान, तहसील–माड़ा जिला–सिंगरौली स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1256 / 3 रकवा 0.399 हे0 के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, जो अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि का निरन्तर

क्रमशः........02

सीतापति शाह

(101)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक (नि0 4547/2018/सिंगरौली/भू-रा0 जिला सिंगरौली

सीतापति विरूद्ध रामजी शाह

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र साहू अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त आमहरा तहसील माडा के प्रकरण क्रमांक 128/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.3.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	